न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–11/2017

हरख नारायण साह.....वादी

बनाम

बिपत दिसवा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
07.01.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी की ओर आवेदन दिनांक 07.03.2020 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 07.01.2025 को सुनवाई हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी की ओर से अपने आवेदन में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में कुछ शब्द टाईपिस्ट के टंकन करने से गलत दर्ज हो गया है तथा कुछ टंकित होने से छुट गया है, जिसे न्यायहित में सुधार कर लेना आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन महज औपचारिक है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई असर नही पडता है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी के संशोधन आवेदन को स्वीकार करने की कृपा करें। इसके लिए वादी श्रीमान् के सदैव आभारी रहेगा। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 13.03.2020 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि आवेदन पोषणीय नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। वाद को लंबित रखने के उद्देश्य से वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दाखिल किया गया है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतु नियत है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें। जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–11/2017

हरख नारायण साह.....वादी

बनाम

बिपत दिसवा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 07.01.2025	लिए आवश्यक हो। वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव पडना प्रतीत नही होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार (Life Insurance Corporation of India V. Sanjeev Builders Private Limited and another, AIR 2002 SC 4256) Amendment may be justifiably allowed where it is intended to rectify the absence of material particulars in the plaint. वादी का आवेदन दिनांक 07.03.2020 को मो0–1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें तथा संशोधन उपरांत सिरिस्तेदार अपना प्रतिवेदन न्यायालय को समर्पित करें। वाद दिनांक 16.01.2025 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	